

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/808

20.01.2026

को,

प्लेक्सकौन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत पूर्व और पश्चात निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी सहायता संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन - के संबंध में**

**संदर्भ: डीजीएफटी व्यापार सूचना संख्या 22/2025-26 दिनांक 16 तारीख जनवरी 2026**

यह हमारी पिछली पोस्ट का सिलसिला जारी है। **व्यापार सूचना संख्या 20/2025-26 के संबंध में परिपत्र संदर्भ संख्या 777** दिनांक 2 जनवरी, 2026। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत पूर्व और पश्चात शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी समर्थन पर परिचालन स्पष्टता और निश्चितता के लिए निम्नलिखित संशोधन और परिवर्धन जारी किए जाते हैं:

| पैराग्राफ पाठ                              | मौजूदा पाठ                                                                                                                                                                                 | संशोधित/सम्मिलित पाठ                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>एचबीपी पैरा X.1(बी) का मसौदा</b>        | आरबीआई के पूर्व और पश्चात निर्यात ऋण संबंधी मुख्य दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदत्त निर्यात ऋण इस घटक के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।                     | भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण सुविधाओं संबंधी समेकित दिशा-निर्देशों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित रूप में, ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदत्त निर्यात ऋण इस घटक के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। |
| <b>एचबीपी पैरा X.2(बी) का मसौदा</b>        | यह सहायता केवल पात्र लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को निर्यात लेनदेन के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध होगी और लागू वित्तीय और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार केवल ऋण लागत तत्व पर ही लागू होगी। | यह सहायता केवल पात्र लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को निर्यात लेनदेन के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध होगी और लागू वित्तीय और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज लागत पर भी लागू होगी।               |
| <b>सम्मिलित – मसौदा एचबीपी पैरा X.3(ई)</b> |                                                                                                                                                                                            | समय-समय पर अधिसूचित संशोधित ब्याज सब्सिडी दरें केवल ऐसी अधिसूचना की तिथि                                                                                                                          |

|                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |  | को या उसके बाद स्वीकृत निर्यात ऋण सुविधाओं पर ही लागू होंगी। मौजूदा सुविधाएं स्वीकृति की तिथि को लागू सब्सिडी दर के अनुसार ही चलती रहेंगी।                                                                                                                                                                                               |
| सम्मिलित – मसौदा एचबीपी पैरा X.3(f)             |  | विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अध्याय 7 के अंतर्गत परिभाषित माने गए निर्यातों के संबंध में ब्याज सब्सिडी स्वीकार्य नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                      |
| सम्मिलित – मसौदा एचबीपी पैरा X.3(g)             |  | जहां निर्यात ऋण खाता पात्र निर्यात चक्र के पूरा होने से पहले ही गैर-निष्पादित हो जाता है, वहां लागू नियामक मानदंडों के अनुसार ब्याज सब्सिडी स्वीकार्य नहीं होगी।                                                                                                                                                                         |
| सम्मिलित – मसौदा एचबीपी पैरा X.3(h)             |  | वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश या कारोबार में वृद्धि के कारण अपनी मौजूदा MSME श्रेणी से बाहर निकलने वाले निर्यातकों को MSME मंत्रालय की अधिसूचना SO 4926(E) दिनांक 18.10.2022 के अनुसार, और अन्य सभी निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी सहायता के लिए पात्र बने रहेंगे। |
| एचबीपी पैरा X.4(ई) का मसौदा - सम्मिलित किया गया |  | यदि कोई निर्यातक एक से अधिक ऋणदाता संस्थाओं से निर्यात ऋण लेता है, तो कुल ब्याज सब्सिडी दावों को निर्धारित वार्षिक सीमा के भीतर रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से लाभार्थी निर्यातक की होगी। किसी भी अतिरिक्त दावे की वसूली लागू प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।                                                                             |

|                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>परिशिष्ट-ए का मसौदा, अनुच्छेद 2(एफ)</b></p> | <p>एक महीने की आवश्यकता के लिए आरबीआई के पास अग्रिम धनराशि जमा की जा सकती है और प्रतिपूर्ति मासिक आधार पर परिक्रामी निधि प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।</p> | <p>बैंकों को प्रतिपूर्ति मासिक आधार पर की जाएगी, जो पात्र निर्यातकों को दी गई ब्याज सब्सिडी की वास्तविक राशि तक सीमित होगी, जैसा कि बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए सत्यापित दावों में दर्शाया गया है।</p>                                                                                                                    |
| <p><b>मसौदा परिशिष्ट-ए पैरा 3(ए)</b></p>          | <p>बैंक, लागू ब्याज सब्सिडी दर और प्रचलित घटक दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्धारित ब्याज दर पर निर्यात ऋण सुविधाएं स्वीकृत करेगा।</p>                         | <p>निर्यात ऋण पर ब्याज दरों का निर्धारण ऋण देने वाली संस्थाओं के व्यावसायिक विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा, जो लागू नियामक निर्देशों के अनुरूप होगा। इस हस्तक्षेप के तहत अधिसूचित सब्सिडी दर के अनुसार, निर्यातक द्वारा वास्तव में वहन की गई ब्याज लागत पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।</p>                                                        |
| <p><b>मसौदा परिशिष्ट-ए पैरा 3(ख)</b></p>          | <p>बैंक प्रत्येक माह के अंत से 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर ब्याज सब्सिडी के लिए आईईसी-वार मासिक प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करेगा।</p>                         | <p>बैंकों को प्रत्येक माह के अंत से पंद्रह (15) दिनों के भीतर निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आईईसी-वार मासिक ब्याज सब्सिडी प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन जमा करना होगा। समेकित और बैंक-वार मासिक विवरणों सहित सभी संबंधित रिपोर्टें पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए, और रिपोर्टों को मैनुअल या ऑफलाइन जमा करने की अनुमति नहीं होगी।</p> |

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, ब्याज सब्सिडी पर वार्षिक सीमा पूरी तरह से लागू होगी और वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति की तिथि या उपयोग की अवधि के बावजूद आनुपातिक समायोजन के अधीन नहीं होगी।

ब्याज सब्सिडी केवल व्यापार सूचना संख्या 20/2025-26 जारी होने की तिथि 02.01.2026 को या उसके बाद स्वीकृत पात्र निर्यात ऋण के संबंध में ही स्वीकार्य होगी। इस तिथि से पहले स्वीकृत निर्यात ऋण पात्र नहीं होगा।

व्यापार सूचना संख्या 20 दिनांक 02.01.2026 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

सदस्य विस्तृत परिपत्र की समीक्षा यहां कर सकते हैं:

[https://membership.plasticsepc.org/emails\\_images/20260120122638.pdf](https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260120122638.pdf)

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल